

12:30 PM

Court Order Print



3068  
मिथलेश रावत

न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)  
पीठासीन अधिकारी का नाम :- सुखवीर सिंह  
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर  
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202610460507285  
वाद संख्या :- 7285/2026  
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम मिथलेश रावत  
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 34  
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि :- 09/05/2026

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खसरा सं० 3068 रकबा 1.8680 हे० के बकदर भाग में से रकबा 0.6227 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा० गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती मिथलेश रावत पत्नी विजय कुमार निवासी बदबदा खेडा, दोना काकोरी लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 07.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



3068  
श्रीराम 8/02/2025



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-2)  
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर  
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460503015  
वाद संख्या:- 3015/2026  
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम राम  
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34  
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 09/03/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00610 की गाटा संख्या 3068 रकबा 1.8680 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2075 हे० मांगु 60ख से विक्रेता श्री राम पुत्र टीकन निवासी दोना बदबदा खेड़ा काकोरी लखनऊ उत्तर प्रदेश का नाम पृथक करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत-वरुण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ गोमतीनगर, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा बेनामा 18.12.2025 अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"